HRA AN UNIVA The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3 —उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380]

380]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 19, 2006/श्रावण 28, 1928

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 19, 2006/SRAVANA 28, 1928

कम्पनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नर्द दिल्ली, 18 अगस्त, 2006

सा.चा.नि. 489(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी सन्तिन अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की भास 9 की उप-भास (2) के साथ पिठत धारा 38क की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी सचिव (परिषद् के सदस्यों का नामनिर्देशन) नियम, 2006 हैं।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ''अधिनियम'' से कंपनी सिचव अधिनियम, 1980 अभिप्रेत है;
- (2) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में परिभाषित हैं।
- 3. नामनिर्देशन के लिए विचार का क्षेत्र.—केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित में से, अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन परिषद् का नामनिर्देशन करेगी :--
 - (क) ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार में निदेशक से अन्यून पंक्ति का पद धारण करता है, या
- (ख) विधि, बैंककारी, अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त, उद्योग, प्रबंध, लोक कार्य या किसी अन्य विषय के क्षेत्र से ऐसा विख्यात व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार की राय में कंपनी सचिव के व्यवसाय के लिए उपयोगी हो सकेगा :

परंतु ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति संस्थान के सदस्य नहीं होने चाहिए ।

स्पष्टीकरण:-इस नियम के प्रयोजन के लिए, ''भारत सरकार के अधीन पद धारण करने'' में भारत सरकार के नियंत्रणाधीन भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य संगठन के अधीन पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है।

> [फा. सं. 5/27/2006-सी.एल.-5] जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

ì

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2006

- G.S.R. 489(E). In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (2) of Section 38A of, read with Sub-section (2) of Section 9 of, the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Company Secretaries (Nomination of Members to the Council) Rules, 2006.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.—(1) In these Rules, unless the context otherwise requires "Act" means the Company Secretaries Act, 1980;
- (2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. Field of consideration for nominations.—The Central Government shall make nominations to the Council under clause (b) of Sub-section (2) of Section 9 of the Act from amongst:—
 - (a) persons who are holding a position in Government of India not below the rank of a Director, or
 - (b) persons of eminence from the fields of law, banking, economics, business, finance, industry, management, public affairs or in any other matter which in opinion of the Central Government may be useful for the profession of Company Secretaries:

Provided that the persons so nominated should not be a member of the Institute.

Explanation.—For the purpose of this rule, 'holding position under Government of India' shall also include a person holding position under the Comptroller and Auditor General of India, Reserve Bank of India or any other Organization under the control of Government of India.

[F.No. 5/27/2006-C. L.-V] JITESH KHOSLA, Jt Secy.